लोकसभा निर्वाचन-2024... विकासखंड तमनार की ग्रामीण महिलाओं ने रैली निकाल मतदान के लिए किया प्रेरित

- एसडीईएम मोर ने किया मतदान केंद्रों की समीक्षा, दिए विशेष दिशा-निर्देश
- स्वीप कार्यक्रम के तहत ग्रामीण अंचल में किया जा रहा विभिन्न मतदाता जागरूकता कार्यक्रम

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में जिले भर में शत-प्रतिशत मतदान एवं मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न स्वीप कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

इसी क्रम में आज विकासखंड तमनार में स्वीप कार्यक्रम के तहत आगामी 7 मई को होने वाले मतदान के लिए ग्राम देवगांव, गौरबहरी, बडग़ांव, केशरचुआं, कोडकेल जैसे विभिन्न गांवों की महिलाओं ने रैली निकाल कर फ्लेक्स एवं तख्तियो में अंकित नारों के माध्यम से मतदाताओं को अपने मताधिकार के प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान महिलाओं द्वारा शत-प्रतिशत मतदान के लिए मतदाता शपथ भी लिया। आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों की सहभागिता रही, जिन्होंने लोकसभा निर्वाचन में अपने मताधिकार के उपयोग के लिए संकल्प लिया।

एसडीईएम घरघोड़ा रमेश मोर ने पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार, उप यंत्री, तकनीकी सहायक मनरेगा, कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा की बैठक लेकर मतदान केंद्रों की समीक्षा करते हुए व्यवस्था के संबंध में विशेष दिशा-निर्देश दिए। सीईओ जनपद तमनार वीरेन्द्र सिह राय ने बताया कि जनपद पंचायत द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीणजन एवं महिलाओं के सहयोग से नियमित रूप से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

एआरओ वासु जैन और नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान ने प्रशिक्षण का किया अवलोकन

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । आईएएस वासु जैन सहायक रिटर्निंग अधिकारी और नोडल अधिकारी स्वीप कार्यक्रम हरिशंकर चौहान ने सारंगढ़ विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोडम में संचालित लोकसभा चुनाव 2024 प्रशिक्षण का अवलोकन किया।

जैन ने इस अवसर पर प्रशिक्षण ले रहे कर्मचारियों से पूछा कि कब तीनो पार्ट्स बीयू, सीयू और वीवीपेट को जोड़ा जाता है। निर्वाचन में ईवीएम खराब होने पर उसके स्थान पर दूसरा ईवीएम मशीन बदलने के लिए क्या प्रक्रिया किया जाना है। मॉकपोल की क्या प्रक्रिया है। प्रशिक्षण दल के द्वारा एक एक करके जैन के प्रश्नों का जवाब दिया गया।

नोडल अधिकारी हरिशंकर चौहान ने कहा कि किसी प्रकार की कोई शंका हो तो उसका समाधान मास्टर ट्रेनर से कर लें। इस अवसर पर जिला मास्टर ट्रेनर चूड़ामणि गोस्वामी, जे आर बंजारे, एस आर अजय, टी पी चंद्रा, विधानसभा मास्टर ट्रेनर विजय महिलाने, देवनाथ महेश आदि उपस्थित थे। प्रशिक्षण में ईव्हीएम मशीन और व्हीव्हीपैट का प्रायोगिक प्रशिक्षण, मास्टर ट्रेनर्स ने मतदान सामाग्री प्राप्त करने, मतदान केन्द्र तक परिवहन के दौरान सावधानी बरतने, मतदान केन्द्र में ईव्हीएम व वीवीपैट को रखने, मॉकपोल, निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरकर लिफाफा में सुरक्षित रखने, मतदान पश्चात मशीन व दस्तावेजों को जमा करने आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।

महत्वपूर्ण एवं खास

वर्तमान वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्री कार्य के लिए अंतिम तिथि 31 मार्च

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । वर्तमान वित्तीय वर्ष में रविवार 31 मार्च को शासकीय सामान्य अवकाश है, किन्तु अचल संपत्ति के खरीदी बिक्री से संबंधित दस्तावेजों के पंजीयन के लिए राज्य के सभी पंजीयन कार्यालय में अवकाश नहीं है और वे खुले रहेंगे। पंजीयन के लिए पक्षकारों को स्टाम्प प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए ई-स्टाम्प काउंटर भी अवकाश के दिनों में खुले रहेंगे। इसके साथ ही मार्च माह में प्रतिदिन निर्धारित अपाईन्टमेंट की सीमा में भी वृद्धि करते हुए प्रातः 10 बजे से शाम 7 बजे तक अपाईन्टमेंट की सुविधा प्रदान की गई है। सामान्य दिवस में 5 बजे तक का ही अपाईन्टमेंट होता है।अवकाश दिवस में पंजीयन कार्य होने से वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही पंजीयन कराने के इच्छुक पक्षकारों को सुविधा प्रतिवर्ष लगभग परम्परा अनुसार दी जाती है।

नक्सलियों ने किया आज बीजापुर बंद

बीजापुर-रायपुर (आरएनएस)। बस्तर में नक्सलियों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ आज बीजापुर बंद का आह्वान किया है. दरअसल 4 दिन पहले पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी के सचिव मोहन ने एक पर्चा जारी किया था, जिसमें धमकी दी गई है कि अगर दुकाने खुली रही, गाडिय़ां चली तो इसके जिम्मेदार वे लोग खुद होंगे. . नक्सलियों के बंद को लेकर बस्तर में पुलिस फोर्स भी अलर्ट मोड़ पर है. नक्सलियों की ओर से जारी पर्चे में लिखा है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद बस्तर के बीजापुर में पुलिस ने 3 महीने के अंदर 15 बेकसूर आदिवासी ग्रामीणों को मारा है. आदिवासी ग्रामीणों के खिलाफ नरसंहार जारी है. अब सरकार के खिलाफ माओवाद पार्टी 30 मार्च को बीजापुर जिला बंद का आव्हान कर रही है.

ऑपरेशन ईगल, 19 स्थायी वारंटी गिरफ्तार

दुर्ग-रायपुर (आरएनएस)। छावनी थाना क्षेत्र में आपरेशन ईगल के तहत चलाए गए ऑपरेशन में एक सप्ताह के अंदर 19 स्थायी वारंटी को पकडक़र न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस महा निरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग रामगोपाल गर्ग एवं पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा कई वर्षो से लंबित स्थायी वारंट का तामीली हेतु आपरेशन ईगल अभियान के तहस सभी थाना प्रभारियो को निर्देशित किया गया है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर सुखनंदन सिंह राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक छावनी हरिश पाटिल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी छावनी उप निरीक्षक चेतन सिंह चन्द्राकर के नेतृत्व मे छावनी पुलिस के द्वारा सप्ताह भर के भीतर क्षेत्र मे 19 स्थायी वारंट की तामीली कर माननीय न्यायालय दुर्ग मे पेश किया जिसमे प्र.आर. जसपाल सिंह, आनंद तिवारी, राम नारायण यदु, विजय शुक्ला, आरक्षक सुनील वर्मा, आकाश तिवारी, त्रिलोक भाटी, संजय सोनी, सुरेन्द्र सिंह, जीत नारायण , चालाक आरक्षक धर्मेन्द्र सिंह की सराहनीय भूमिका रही।

गजराजों ने पेड़ को किया धराशायी

कोरबा (आरएनएस)। जिले के कटघोरा वनमंडल के केंदई रेंज में सक्रिय 31 हाथियों के दल ने बीती रात रेंज अंतर्गत जातामाटी एवं कापानवापारा गांव में उत्पात मचाते हुए जहां पेड़ को धराशायी कर दिया वहीं बांस बाड़ी में लगे पौधों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। वन विभाग के निगरानी दल द्वारा हाथियों की निगरानी थर्मल ड्रोन से की जा रही है। ड्रोन कैमरे द्वारा हाथियों का लोकेशन व चित्र भेजे जाने के बाद निगरानी दल तत्काल मौके पर पहुंचा और उत्पात मचा रहे हाथियों को खदेड़े जाने की कार्यवाही की। जिस पर हाथियों का उत्पात थमा। क्षेत्र में हाथियों की उपस्थिति से ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है।

एक जून तक एग्जिट पोल प्रसारण पर लगी रोक भारत निर्वाचन आयोग ने जारी की अधिसूचना

रायपुर । आरएनएस

भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 19 अप्रैल से 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना में उल्लेखित है कि लोकसभा निर्वाचन-2024 के दृष्टिगत 19 अप्रैल 2024 को प्रात: 7 बजे से 1 जून 2024 की शाम साढ़े छह बजे तक की अवधि में लोकसभा आम निर्वाचन के संदर्भ में किसी भी तरह के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबंध होगा।

आयोग ने अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (ख) के अधीन लोकसभा निर्वाचन-2024 अंतर्गत संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा।

आज समाप्त होगी सरकारी गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत की छूट, अब जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री होगी महंगी

रायपुर । आरएनएस

छत्तीसगढ़ में 2019 से जमीनों के कलेक्टर रेट में 30 प्रतिशत की छूट दी गई थी। सरकार हर साल आदेश निकाल कर इस छूट की सीमा एक साल बढ़ा देती थी। कल 31 मार्च इसका आखिरी डेट है। आवास पर्यावरण विभाग ने छूट बढ़ाने से साफ इंकार कर दिया है। आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने एनपीजी न्यूज से स्पष्ट तौर पर कहा कि गाइडलाइन रेट में छूट अब नहीं बढ़ाई जाएगी। इससे किसानों को नुकसान हो रहा है।

सरकार ने छूट बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में सार्वजनिक किया कि 31 मार्च में अब सिर्फ दो दिन बच गए हैं। 29 मार्च को देर शाम मंत्री ओपी चौधरी से एनपीजी न्यूज की बात हुई। उसके बाद छत्तीसगढ़ के नंबर वन न्यूज वेबसाइट एनपीजी न्यूज में यह खबर फ्लैश हुई। इसके बाद भूमाफियाओं और बड़े बिल्डरों में हडक़ंप मच गया। रजिस्ट्री ऑफिस में मार्च की भीड़भाड़ को देखकर बड़ी संख्या में ऐसे रजिस्ट्रीयों को होल्ड करके रखा गया था कि अप्रैल में आराम से कराया जाएगा। मगर छूट समाप्त होने से अब जमीनों की रजिस्ट्री 43 प्रतिशत बढ़ जाएगी। याने बड़ी रजिस्ट्रियों में लाखों की चपत बैठेगी। जमीनों के गाइडलाइन रेट में छूट समाप्त होने से मनी लॉड्रिंग पर अंकुश लगेगा। इस समय गाइडलाइन रेट कम होने से दो नंबर का पैसा जमीनों में खपाया जा रहा है। खासकर, भूमाफिया इसका जमकर फायदा उठा रहे थे। दरअसल, बड़े बिल्डरों और भूमाफियाओं को कतई उम्मीद नहीं थी कि गाइडलाइन रेट में छूट नहीं बढ़ाई जाएगी। लोकसभा चुनाव को देखते सभी को लग रहा था कि कम-से-कम इलेक्शन के दौरान तो ऐसा नहीं होगा। उपर से आचार संहिता लगने के बाद कई लोग ये समझे कि अब तो इसमें कुछ नहीं होगा। मगर उन्हें ये नहीं मालूम था कि आचार संहिता से इसका कोई वास्ता नहीं। 31 मार्च तक इसका डेट था और सरकार अगर नहीं बढ़ाई तो अपने आप छूट का ये आदेश समाप्त हो जाएगा। और वही हुआ। जाहिर है, इससे छत्तीसगढ़ के भूमाफियाओं और बिल्डरों को झटका लगा है। सरकार द्वारा गाइडलाइन रेट में छूट की अवधि न बढ़ाने से जमीनों की रजिस्ट्री करीब 43 परसेंट महंगी हो जाएगी। इससे सरकारी खजाने में करीब एक हजार करोड़ अतिरिक्त राजस्व आएगा। वहीं, किसानों को भी इसका फायदा होगा। किसानों की जमीन अधिग्रहण में उन्हें बड़ा नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में चारों तरफ सडक़ें बनने से बड़े स्तर पर जमीनों का अधिग्र्रहण चल रहा है। मगर गाइडलाइन कम होने से उन्हें रेट कम मिल रहा है। आवास पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने भी यही कहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को इससे फायदा होगा।

खाद्य लाइसेंस शिविर के दौरान किया गया मतदाता सामूहिक शपथ

सारंगढ़ बिलाईगढ़

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू और नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के निर्देश पर सीएमएचओ डॉ अवधेश पाणिग्राही और उप संचालक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के नगर पंचायत सरसीवा में शनिवार को खाद्य कारोबार कर्ताओं का एफएसएसएआई के तहत खाद्य अनुज्ञप्ति / पंजीयन बनवाने हेतु शिविर का आयोजन किया गया, जिसमे 04 अनुज्ञप्ति और 37 पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्त हुआ। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संध्या महिलांग के द्वारा खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 के संबध में जानकारी व आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। शिविर में आए लोगों को मतदाता जागरूकता अभियान के तहत शपथ भी दिलवाया गया। शिविर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी संध्या महिलांग के साथ नमूना सहायक वरुण पटेल भी उपस्थित थे।

प्राची विहार में चक्रधरनगर पुलिस की शराब रेड कार्यवाई, 8 लीटर महुआ शराब के साथ आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़। दिनांक 29/03/2024 को प्राची विहार चक्रधरनगर में एक व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बिक्री करने की सूचना थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रशांत राव आहेर को मिली। थाना प्रभारी द्वारा तत्काल तस्दीक/कार्रवाई के लिये प्राची विहार थाने के स्टाफ को रवाना किया गया। चक्रधरनगर पुलिस की टीम द्वारा संदेही अहलाद चौहान पिता असाडू चौहान उम्र 45 वर्ष साकिन छोटे हल्दी थाना पुसौर जिला रायगढ़ हाल मुकाम प्राची बिहार थाना चक्रधरनगर को उसके घर के पास अवैध रूप से शराब विक्रय के लिये 5 लीटर प्लास्टिक जरकीन और 2-2 लीटर पेप्सी बाटल में रखे हुये महुआ शराब के साथ पकड़ा गया है। आरोपित अहलाद चौहान से कुल 08 लीटर महुआ शराब कीमती 800/- रूपये का जप्त कर थाना चक्रधरनगर में धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। शराब रेड कार्रवाई में प्रधान आरक्षक रवि किशोर साय, आरक्षक अभय यादव, चन्द्र कुमार बंजारे और महिला आरक्षक अनिता बेक शामिल थे।

चौकी खरसिया की पुलिस ने कार में शराब तस्करी कर रहे युवक को पकड़ा, 35 पाव अंग्रेजी शराब बरामद

रायगढ़

जिले में प्रभावशील आचार संहिता का पालन करने सभी थानाक्षेत्र अंतर्गत पुलिस पार्टी सक्रिय होकर अवैधानिक गतिविधियों पर निगाह रखे हुये है। इसी क्रम में कल 29 मार्च के रात्रि पुलिस चौकी खरसिया की टीम द्वारा टाऊन पेट्रोलिंग दौरान अर्टिका वाहन सीजी 13 ए.जी.4772 में चालक विजय गुप्ता पिता शिव प्रसाद गुप्ता उम्र 42 वर्ष सा कुडेकेला थाना छाल जिला रायगढ छ.ग. को शराब तस्करी करते पकड़ा गया है। चौकी प्रभारी खरसिया एसआई संजय नाग को मुखबीर से सूचना मिली थी कि राठौर चौक बाई पास खरसिया तरफ से मंगल बाजार खरसिया तरफ एक नीले रंग की कार में शराब परिवहन किया जा रहा है। पुलिस पेट्रोलिंग ने आरोपित को मंगल बाजार चौक में घेरा बंदी कर पकड़ा, पुलिस ने कार अंदर रखा 20 पाव जम्मु विक्की अंग्रेजी शराब तथा 15 पाव आफिसर च्वाईस विस्की अंग्रेजी शराब कुल 35 पाव अंग्रेजी शराब कीमती 2,250 रूपये और अर्टिगा कार कीमत करीब 8 लाख रुपए का जप्त कर आरोपी विजय गुप्ता पर थाना खरसिया (चौकी खरसिया) में अपराध क्रमांक 209/2024 धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है। शराब रेड कार्रवाई में चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक संजय नाग, प्रधान आरक्षक मनोज मरावी और अशोक देवांगन शामिल थे।

अवैध शराब विक्रय की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने ढाबा में की शराब रेड कार्यवाई

- ढाबा संचालक के कब्जे से बीयर बोतल, देशी व अंग्रेजी शराब जब्त
- आरोपित पर की गई आबकारी एक्ट की कार्यवाई

रायगढ़

दिनांक 29/03/2024 की रात्रि थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल को मुखबिर से सूचना मिली कि रायगढ़-पूंजीपथरा मार्ग स्थित वेलकम ढाबा में मंदीप सिंह भाटिया के द्वारा भारी मात्रा में देशी व अंग्रेजी शराब बिक्री करने इकट्ठा कर रखा गया है। सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा शराब रेड कार्यवाही किया गया। जहां मौके पर मिला व्यक्ति अपना नाम मंदीप सिंह भाटिया पिता परमजीत सिंह भाटिया उम्र 26 वर्ष साकिन बुधवारी पारा वार्ड नंबर 13 डोंगरगढ थाना डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव हाल मुकाम सांई कालोनी उर्दना थाना कोतवाली जिला रायगढ़ का होना बताया जिससे शराब विक्रय के संबंध में पूछताछ करने पर अवैध रूप से शराब बिक्री करना स्वीकार कर ढाबा के पीछे प्लास्टिक बोरी में छिपाकर रखा 11 नग बीयर, 09 पाव देशी अंग्रेजी शराब कुल शराब मात्रा 8.670 बल्क लीटर कीमती 3,470 रूपये का जप्त कर आरोपित मंदीप भाटिया पर थाना सिटी कोतवाली रायगढ में अपराध क्रमांक 206/2024 धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है। कार्यवाही में प्रधान आरक्षक हेमन पात्रे, श्रीराम साहू, आरक्षक जगमोहन ओग्रे, मनोज पटनायक और आशीष महंत शामिल थे।

डीडीओ से फेल्ड बिलों को ई-कुबेर में स्वीकार करने की अंतिम तिथि आज

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने ई-कुबेर पोर्टल में फेल्ड पेमेंट्स देयकों को अंतिम तिथि 31 मार्च 2024 तक स्वीकार करने की अनुमति दी है। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ के सभी विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के द्वारा ई-बिल लॉग इन करने पर उनके डीडीओ में यदि कोई बिल (देयक) फेल है तो ऑटोमेटिक दिख जायेगा। वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ के सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अवसर प्रदान किया है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में फेल हुए देयक, जिनका फेल्ड बिल तैयार कर संबंधित कोषालय- उपकोषालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इन फेल्ड देयक को 31 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक स्वीकार किया जाएगा।

शहर के अलग-अलग स्थानों पर छापेमारी कर कोतवाली पुलिस ने चार व्यक्तियों को सट्टा पट्टी लिखते पकड़ा

- आरोपियों से नगद 5,800 रुपए और सट्टा पट्टी जब्त, आरोपियों पर जुआ प्रतिषेध अधिनियम की कार्यवाही

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन पर कल 29 मार्च के रात्रि थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल के नेतृत्व में शहर के विभिन्न इलाकों में सट्टा पट्टी लिखने वालों की सूचनाएं लेकर अभियान स्तर पर कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा छापेमार कार्यवाही की गई जिसमें – (1) राजा महल रायगढ के पास आरोपी रमेश पटेल पिता स्वर्गीय लक्ष्मण पटेल उम्र 54 वर्ष साकिन नवागढी राजापारा रायगढ (2) सुल्तान होटल संजय काम्पलेक्स हटरी में आरोपी बसीर हुसैन पिता बदरू हुसैन उम्र 36 वर्ष साकिन मधुबन पारा रायगढ थाना कोतवाली रायगढ़ (3) रेल्वे बंगला पारा जगन्नाथ मंदिर के पास आरोपी छबि राम धीवर पिता स्वर्गीय भागीरथी धीवर उम्र 36 वर्ष निवासी रेल्वे बंगला पारा थाना सिटी कोतवाली जिला रारायगढ (4) रेल्वे स्टेशन रोड केकी बार के पीछे गली में आरोपी अजय ठाकुर पिता लाभ सिंह ठाकुर उम्र 35 वर्ष साकिन सोनिया नगर कोतरारोड थाना कोतवाली रायगढ़ को पकड़ा गया। चारों आरोपियों के कब्जे से सट्टा पट्टी विवरण, पेन और नगद रुपए कुल रु.5,800 जप्त किया गया है। आरोपियों पर थाना कोतवाली में पृथक-पृथक धारा 6 छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 के तहत कार्यवाही की गई है। अभियान स्तर पर की गई कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल, उपनिरीक्षक अमरनाथ शुक्ला, प्रधान आरक्षक जगदीश नायक, आरक्षक जगमोहन ओग्रे, मनोज पटनायक और धनीराम सिदार शामिल थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480